छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918920
Email - office.rera.cg@gov.in, website - https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 34 / रेरा / 2019 / 2658 रायपुर, दिनांक 26 / 11 / 2019

/ / परिपत्र / /

विषय :– रेरा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(ठ)(ई) में प्रमोट्र्स द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर, अपने खातों की व्यवसायतर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लेखा परीक्षा (AUDIT) कराने तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तथा हस्ताक्षरित लेखों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.2019 तक प्रस्तुत की जानी थी। किन्तु छत्तीसगढ़ रेरा के गठन उपरांत रेरा आडिट का प्रथम वर्ष होने के कारण एवं प्रमोट्र्स द्वारा अन्य कठिनाईयों के कारण कार्यालयीन आदेश क्र. 12 / 1942, दिनांक 19.08.2019 के माध्यम से निर्धारित तिथि दो माह आगे बढाकर 30.11.2019 की तिथि नियत की थी।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्राधिकरण के वेब पोर्टल में व्यापक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन अनुसार वार्षिक लेखा परीक्षण अपलोड करने हेतु पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण वार्षिक लेखा परीक्षण की अंतिम निर्धारित तिथि 31.12.2019 की जाती है।

निर्धारित तिथि उपरांत वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रतिदिवस 500 /– का विलंब शुल्क देय होगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर